न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 515/2022

वाद पत्र अं0 धारा 88,53 आर.टी.ए.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

शिव कुमार पुत्र श्री हजारी राम जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. रविन्द्र कुमार पुत्र श्री हजारी राम जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री राजेश बुडानिया –वकील वादी
2. श्री मनीराम सहू–वकील प्रति.सं. 1

निर्णय दिनांक :– 31.10.2022

वादी शिव कुमार ने प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं खाता विभाजन के तहत दिनांक 29.09.2022 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 एक ही सयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। वादी प्रतिवादी सं. 1 का भाई हैं। वादी व प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक नं. 2 डीएनजी के खाता सं. 110/79 जं.सं. 2071–2074 खाता में 9.222 है. नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाता की ज़मावन्दीयां सलग्न वादपत्र है। उक्त खाता की कुल कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैं।

चक नं. 2 डीएनजी खाता सं. 110/79

पं.नं.	मुं.नं.	किला नं.
189/130	30	3/0.038है., 4,7/.253है.प्रं.,8/0.215है.,9/0.013है.,
		12/0.025है.,13,14,16,17,18,19,22,25/0.253है.प्रं.
190/130	31	11 ता 14,17 ता 24/0.253है.प्रं.
190/131	40	3,4,7,8,13,14,17,18,23,24/0.253है.प्रं.
190/132	41	3,4,6,7/0.253है.प्रं.
		कुल 9.222है.

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित भूमि जो वादी व प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि का वादी व प्रतिवादी ने अच्छी मंदी अनुसार घरू–विभाजन कर लिया था मुताबिक घरू–विभाजन वादी अपना खाता अलग कायम करवाने का अधिकारी व दावेदार है। मुताबिक घरूविभाजन वादी को निम्न भूमि आई है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

लगातार–2–

(क) वादी शिव कुमार के हक व हिस्सा की भूमि
चक नं. 2 डीएनजी के खाता सं. 110/79

पं.नं.	मुं.नं.	किला नं.
189/130	30	3/0.038है., 4,7/.253है.प्रं.,8/0.190है.,9/0.013है.,
		12/0.025है.,13,14,16,17,18/0.253है.प्रं.,
		19/0.126है.,22/0.228है.,25/0.253है.प्रं.
190/130	31	11 ता 14,19,20,21,22/0.253है.प्रं.
		कुल 4.668 है.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(ख) प्रतिवादी सं. 1 रविन्द्र कुमार के हक व हिस्सा की भूमि
चक नं. 2 डीएनजी के खाता सं. 110/79

पं.नं.	मुं.नं.	किला नं.
190/130	31	17,18,23,24/0.253है.प्रं.
190/131	40	3,4,7,8,13,14,17,18,23,24/0.253है.प्रं.
190/132	41	3,4,6,7/0.253है.प्रं.
		कुल 4.554 है.

वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ने वादपत्र की चरण सं. 3 में वर्णित भूमि का घरू विभाजन अच्छी मंदी के अनुसार के अनुसार खातेदार काश्तकार मानकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवा दो तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल–मटोल करते रहे किन्तु बाद में पिछले सप्ताह वादी की बात मानने से कतई इन्कार हो गए, बस यही बिनाय दावा है। वादीगण का खाता वादपत्र की चरण सं. 5 के अनुसार खाता अलग कायम किया जाकर रकम राज अलग कायम की जावें। चक नं. 2 डीएनजी के खाता सं. 110/79 जं.सं. 2071–2074 खाता में वादी का 0.057 है. हिस्सा बढाया जावें व प्रतिवादी सं. 1 का इतना हिस्सा कम किया जावें।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ने सहमति का ज्वाब दावा प्रस्तुत किया प्रतिवादी सं. 2 का ज्बाव दावा पेश हुआ। जो शामिल पत्रावली किया गया। दोनों पक्षों में विवाद नं होने के कारण तनकीयात न कायम कर वकील वादी को साक्ष्य वादी हेतू अवसर दिया गया। वकील वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 पेश किया गया जिसमें वादपत्र के तथ्यों को दर्शाया गया। तथा जं.बं. चक नं. 2 डीएनजी खाता सं. 110/79 प्रदर्श की गई जो प्रदर्श 1 हैं। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी अभिभाषक ने कथन किया कि चक नं. वादीगण का खाता वादपत्र की चरण सं. 5 के अनुसार खाता अलग कायम किया जाकर रकम राज अलग कायम की जावें। चक नं. 2 डीएनजी के खाता सं. 110/79 जं.सं. 2071–2074 खाता में वादी का 0.057 है. हिस्सा बढाया जावें व प्रतिवादी सं. 1 का इतना हिस्सा कम किया जावें। प्रतिवादी के वकील द्वारा कोई ऐतराज नहीं किया गया। बहस में वादीगण के वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन में वादी ओर से कुल EXP-1 प्रदर्श किये गए। बहस में वकील प्रतिवादीगण द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए जमाबन्दी प्रदर्श दस्तावेज 1 का विरोध नही किया। प्रतिवादी सं. 1 का सहमति का जवाब दावा पेश हुआ। प्रश्नगत भूमि सांझा खाता की है तथा वादी व प्रतिवादीगण द्वारा घरू बंटवारा होना बताया है इसलिए वादी का वादपत्र से स्वीकार किये जाने योग्य है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः बाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर डिक्री किया जाता हैं कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 का खाता वादपत्र की चरण सं. 4 के मुताबिक अलग कायम कर रकमराज अलग कायम किया जाता हैं। वादपत्र की चरण सं. 4 निम्न प्रकार हैं:—

(क) वादी शिव कुमार के हक व हिस्सा की भूमि
चक नं. 2 डीएनजी के खाता सं. 110/79

पं.नं.	मुं.नं.	किला नं.
189/130	30	3/0.038है., 4,7/.253है.प्रं.,8/0.190है.,9/0.013है., 12/0.025है.,13,14,16,17,18/0.253है.प्रं., 19/0.126है.,22/0.228है.,25/0.253है.प्रं.,
190/130	31	11 ता 14,19,20,21,22/0.253है.प्रं.
		कुल 4.668 है.

(ख) प्रतिवादी सं. 1 रविन्द्र कुमार के हक व हिस्सा की भूमि
चक नं. 2 डीएनजी के खाता सं. 110/79

पं.नं.	मुं.नं.	किला नं.
190/130	31	17,18,23,24/0.253है.प्रं.
190/131	40	3,4,7,8,13,14,17,18,23,24/0.253है.प्रं.
190/132	41	3,4,6,7/0.253है.प्रं.
		कुल 4.554 है.

उक्त खाता से चक नं. 2 डीएनजी के खाता सं. 110/79 जं.सं. 2071—2074 खाता में वादी का 0.057 है. हिस्सा बढाया जाकर व प्रतिवादी सं. 1 का इतना हिस्सा कम किया जाता हैं। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकारान अपना—अपना अलग वहन करेगे।

नोटः— बैंक ऋण यथावत रहें।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/10/22

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 515/2022
वाद पत्र अं.धारा :– 88/53 आरटीए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

शिव कुमार पुत्र श्री हजारी राम जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. रविन्द्र कुमार पुत्र श्री हजारी राम जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

–प्रतिवादीगण

दिनांक :– 31.10.2022

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री राजेश बुडानियां वकील वादी व श्री मनीराम सहू वकील प्रतिवादी सं. 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 का खाता निम्नानूसार अलग कायम किया जावें

(क) वादी शिव कुमार के हक व हिस्सा की भूमि
चक नं. 2 डीएनजी के खाता सं. 110/79

पं.नं.	मुं.नं.	किला नं.
189/130	30	3/0.038है., 4,7/.253है.प्रं.,8/0.190है.,9/0.013है., 12/0.025है.,13,14,16,17,18/0.253है.प्रं., 19/0.126है.,22/0.228है.,25/0.253है.प्रं.
190/130	31	11 ता 14,19,20,21,22/0.253है.प्रं.
		कुल 4.668 है.

(ख) प्रतिवादी सं. 1 रविन्द्र कुमार के हक व हिस्सा की भूमि
चक नं. 2 डीएनजी के खाता सं. 110/79

पं.नं.	मुं.नं.	किला नं.
190/130	31	17,18,23,24/0.253है.प्रं.
190/131	40	3,4,7,8,13,14,17,18,23,24/0.253है.प्रं.
190/132	41	3,4,6,7/0.253है.प्रं.
	कुल 4.554 है.	

उक्त खाता से चक नं. 2 डीएनजी के खाता सं. 110/79 जं.सं. 2071–2074 खाता में वादी का 0.057 है. हिस्सा बढाया जाकर व प्रतिवादी सं. 1 का इतना हिस्सा कम किया जावें।
खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे
नोट:– बैंक ऋण यथावत रखा जावें।
निज...x.......नल....x........मुब्लिक....x.....निल.......x...........बाबत...x.....निल..100/-..खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक ..x.....अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 31.10.22.... जारी किया गया।

31/10/22
(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया